उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– २५०/2016 /61/IX–1/2002
देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 के उप नियम (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या–3–8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245, दिनांक 05.02.2001, शासनादेश संख्या–56/परि0/2003, दिनांक 07.02.2003, शासंनादेश संख्या–473/IX/61(परि0)/2002/2006, दिनांक 02.06.2006, शासनादेश संख्या–477/IX/61/02/2009, दिनांक 27.10.2009, शासनादेश संख्या–131/IX/61(परि0)/2011, दिनांक 30.06.2011 एवं शासनादेश संख्या–178/IX-1/2012/61/2003, दिनांक 26.12.2012 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल यह विर्निदिष्ट करते हैं कि – किसी यान जो राज्य में जो पदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, निम्नलिखित का प्रयोग करने कि अनुज्ञा होगीः–

श्रेणी "क"– वाहन के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर युक्त नीली बत्ती, जब तक यान राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर होः–

1– अध्यक्ष राजस्व परिषद्।
2– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– औद्योगिक विकास आयुक्त।
4– आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6– पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक।
7– मण्डलायुक्त/परिवहन आयुक्त/आबकारी आयुक्त/व्यापार कर आयुक्त।
8– पुलिस महानिरीक्षक।
9– परिक्षेत्रिय पुलिस उप महानिरीक्षक।
10– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/विभागाध्यक्ष।
11– जनपद न्यायाधीश एवं उनके समकक्ष न्यायिक अधिकारी, उच्चत्तर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
12– जिला मजिस्ट्रेट।
13– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
14– मुख्य विकास अधिकारी।

श्रेणी "ख"– वाहन के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर युक्त पीली बत्ती, जब तक यान राज्य में कहीं भी ड्यूटी पर होः–

1– अपर पुलिस अधीक्षक।
2– सेनानायक पी0ए0सी0/सेनानायक आई0आर0बी0/संभागीय परिवहन अधिकारी।

UTTARAKHAND

3– अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जिलों में तैनात हों)।

4– प्रर्वतन संबंधी ड्यूटी में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला व्यापार कर अधिकारी तथा वन विभाग के संबंधित प्रवर्तन अधिकारी (केवल वन क्षेत्र में)।

5– क्षेत्राधिकारी पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/तहसीलदार।

नोट–

(1) अन्य प्रदेश के उपरोक्त श्रेणी के पदाधिकारियों को उत्तराखण्ड के शासकीय भ्रमण के दौरान उपरोक्त श्रेणीवार बत्ती की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) यदि कोई यान जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहे हैं, तो ऐसे नीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जायेगा।

(3) उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को नीली बत्ती की उक्त अनुमन्यता केवल शासकीय वाहनों पर ही होगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या– (1) /2016 /61/IX–1/2002 , तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100–100 प्रतियां परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

आज्ञा से,

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

Adhisuchna

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड सरकार
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /2016 /61/IX–1/2002
देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–25237/2010 में दिनांक 10.12.2013 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के 119 के उप नियम (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निदेश देते हैं कि –

(क) निम्नलिखित यथा वर्गीकृत यानों के शीर्ष अग्रभाग पर लाल रंग को छोड़कर बहुरंगी (नीली, सफेद व नारंगी) बत्तियों के प्रयोग की अनुज्ञा होगीः–

"आपालकालीन सेवाओं में लगे वाहनों यथा–एम्बुलेंस, अग्निशमन यान या पाइलेट के रूप में प्रयुक्त पुलिस वाहन, कानून व व्यवस्था में संचालित वाहन।"

(ख) निम्नलिखित यथा वर्गीकृत यानों पर हूटर (हार्न) के प्रयोग की अनुज्ञा होगीः–

"एम्बुलेन्स या अग्निशमन यान, निर्माण उपस्कर यान, पुलिस अधिकारियों तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य के दौरान (केवल आपातकाल में)।"

(ग) किसी भी वाहन में बहुल–स्तर हार्न (Multi–toned hornes) नहीं लगाया जायेगा, जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनी निकलती हो या जिससे कर्कश, कम्पित, तेज या ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले का प्रयोग वर्जित है।

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

UTTARAKHAND

संख्या– (1)/2016 /61/IX–1/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 100–100 प्रतियां परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

आज्ञा से,

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या– 241 (1)/2016 /61/IX–1/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11– राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

UTTARAKHAND

संख्या 243/ix–1/ /2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–**समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन

2–**परिवहन आयुक्त,**
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–**आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।**
उत्तराखण्ड।

4–**पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड**

5–**समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**

6–**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/**
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

7–**समस्त विभागाध्यक्ष,**
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2016**

विषयः–विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने निजी वाहनों पर (आगे व पीछे) अपने राजनैतिक दल/संगठन/संस्थान/प्रतिष्ठान/संस्था के नाम/पदनाम एवं भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–636/ix–1/103/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 एवं शासनादेश संख्या–79/ix–1/–/2014 दिनांकः 12 मई, 2014 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एवं किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नही है। समय–समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया कि विभिन्न गैर सरकारी, निजी वाहन, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त प्रभाव सूचक विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में नेमप्लेट, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/चिन्ह का प्रयोग किया जाना नियमों के विरूद्ध है। साथ ही ऐसा किये जाने से सुरक्षात्मक व प्रशासनिक अव्यवस्था तथा वाहनों के दुरूपयोग की सम्भवनाये विद्यमान रहती है।

3– उपरोक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–29/2014 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निजी वाहनों पर असंवैधानिक रूप ''भारत सरकार'', ''राज्य सरकार'' अथवा विभिन्न अंकित किये जाने का संज्ञान लेते हुए उक्त को प्रतिबन्धित किये जाने की कार्यवाही का निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने निजी वाहन (आगे व पीछे) पर अपने संगठन/संस्थान/राजनैतिक दल/प्रतिष्ठान/संस्था के नाम/पदनाम एवं भारत सरकार उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय का नाम अंकित नहीं करेगा। अन्यथा की स्थिति मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

G.O.2013.doc